



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228951
CG-DL-E-12082021-228951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3013]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943

No. 3013]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3253(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2078(अ) तारीख 18.06.2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26.06.2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा असम राज्य में जगदीशपुर - हल्दिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के अभिनन अंग के रूप में बरौनी- गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के परियोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी - गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट (बी0 जी0 पी0 एल0) अनुसूची							
राज्य: असम							
जिला	सर्कल	मौजा	गाँव	सर्वे नं/ दाग नं	नया क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	7	8		
बारपेटा	सारुपेटा	हस्तिनापुर	गेरुआ पारा	154	00	07	42
				155	00	10	21
				156	00	05	33
				157	00	13	92
				158	00	09	33
				159	00	05	99
				160	00	01	56
				161	00	08	03
				131	00	06	52
				132	00	10	90
				133	00	02	01
				128	00	05	10
				266	00	00	59
				265	00	01	28

[फा. सं. एल-14014/26/2020-जी पी-II]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2021

S.O. 3253(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.2078 (E) dated 18.06.2020 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 26.06.2020, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to

that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni-Guwahati Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur- Haldia & Bokaro- Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of Assam by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT BGPL SCHEDULE							
State : Assam							
District	Circle	Mouza	Village	Survey No./ Dag No.	Current Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	7	8		
Barpeta	Sarupeta	Hastinapur	Gerua Para	154	00	07	42
				155	00	10	21
				156	00	05	33
				157	00	13	92
				158	00	09	33
				159	00	05	99
				160	00	01	56
				161	00	08	03
				131	00	06	52
				132	00	10	90
				133	00	02	01
				128	00	05	10
				266	00	00	59
				265	00	01	28

[F. No. L-14014/26/2020-GP-II]

RAKESH MISHRA, Under Secy.